

प्रारूप-दो

(देखिये नियम-3 (4))

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

तारीख: 22/07/2011

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 51

अ/89 (अ) वर्ष 2010-11

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन-

श्री/श्रीमति/मेसर्स - सिंघानिया गोयल बिल्डकांन
भागीदार - श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री एस0 एल0 सिंघानिया
निवासी - श्याम चेम्बर, तृतीय तल आमनाका रायपुर
मोहल्ला - रायपुर
ग्राम/वार्ड -
नगर - रायपुर
तहसील - रायपुर
जिला - रायपुर

को एतद द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है-

01. यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत दौदेखुर्द तहसील रायपुर के क्षेत्र तक सीमित है.
02. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की पूर्व सूचना कालोनाईजर को देनी होगी. प्रारंभ करने के लिये प्रत्येक कालोनी की अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी.



द्वारा निम्नानुसार कालोनी के विकास की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात ही कालोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य, भूखण्डो भवनो का विक्रय या विक्रय का करार वैध होगा.

स्थान: रायपुर 22/07/2011

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
(रायपुर जिला)
(सि.) रायपुर (छ.ग.)

For Singhania Goel Builders

Partner

278